2007 का विधेयक संख्यांक 97

[दि लैंड एक्वीजीशन (अमेंडमेंट) बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894का
और संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को, प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

वृहत नाम का संशोधन।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (जिसे इसमें पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत नाम में "और कंपनियों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा। 1894 का 1

उद्देशिका का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की उद्देशिका में से, "और कंपनियों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 1क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2007 का लागू होना।

"1क. पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन अधिनियम, 2007 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन की बाबत लागू होंगे।"

धारा 3 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ख) "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अंतर्गत,—

(i) वे सभी व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं;

(ii) ऐसे जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी भी आते हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई परंपरागत अधिकार खो दिए हैं; 2007 का 2

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध व्यक्ति भी आता है; और

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधारण अधिकार रखने वाले व्यक्ति भी आते हैं;';

(ii) खंड (गग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(गगग) "अर्जन की लागत" पद के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) अधिनिर्णीत प्रतिकर जिसके अंतर्गत मुआवजा और अन्य रकम तथा उस पर संदेय ब्याज;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि और खड़ी फसल को कारित नुकसानी के लिए संदाय किए जाने वाला डेमरेज (विलंब-शुल्क);

(iii) विस्थापित और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना से बाहर की भूमि के अर्जन की लागत;

(iv) पुनर्व्यवस्थापन स्थलों पर अवसंरचना और सुख-सुविधाओं के विकास की लागत;

(v) पुनर्व्यवस्थापन की अतिरिक्त लागत जो प्रभावित व्यक्तियों या कुटुंबों को अधिनिर्णीत प्रतिकर के विरुद्ध पुनर्वास और पुनर्व्यर्वस्थापन लागत के अनुज्ञेय समायोजन के पश्चात् अपेक्षित हो;

(vi) परियोजना के अंदर और परियोजना के बाहर के क्षेत्रों की भूमि सहित भूमि के अर्जन की प्रशासनिक लागत; और

(vii) हकदार और हितबद्ध कुटुम्बों, परियोजना के भीतर की भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को वास्तविक पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रदान करने के लिए पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास पैकेज की योजना और उसके कार्यान्वयन में अंतर्वलित प्रशासनिक लागत;';

(iii) खंड (घ) और खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ङङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ङङ) "समुचित सरकार" पद से अभिप्रेत है,—

(i) संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार;

(ii) एक से अधिक राज्यों में किसी अवसंरचना परियोजना के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, केन्द्रीय सरकार; और

(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के अर्जन के संबंध में, राज्य सरकार;';

(v) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(च) "लोक प्रयोजन" पद के अंतर्गत निम्नलिखित भी आता है,—

(i) नौसेना, थल सेना और वायु सेना संकर्म या राज्य के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपबंध;

(ii) जहां आम जनता को फायदे होते हों वहां समुचित सरकार की अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भूमि का उपबंध; और

(iii) आम जनता के लिए उपयोगी किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपबंध जिसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण संविदा के अधीन परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के कुल क्षेत्र के सत्तर प्रतिशत भूमि का क्रय किया गया है किन्तु शेष तीस प्रतिशत अर्जित की जानी है।

स्पष्टीकरण—"व्यक्ति" शब्द के अंतर्गत कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय भी है, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं।';

(vi) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चच) "अवसंरचना परियोजना" पद के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) विद्युत उत्पादन, पारेषण या प्रदाय से संबंधित कोई परियोजना;

(ii) सड़कों, राजमार्गों, पुलों, विमानपत्तनों, पत्तनों, रेल प्रणालियों का सन्निर्माण या खनन क्रियाकलाप;

(iii) जल आपूर्ति परियोजना, सिंचाई परियोजना, सफाई और मल व्ययन प्रणाली; या

(iv) ऐसी कोई अन्य लोक सुविधा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित की जाए;';

(vii) खंड (छ) में, "न्यायालय" पद के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण" पद पर रखा जाएगा;

(viii) **खंड** (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ज) ''प्राधिकरण'' पद से राज्य सरकार द्वारा धारा 17क की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(झ) ''केंद्रीय प्राधिकरण'' पद से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 17ठ की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केंद्रीय भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य'' पद से, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है।'।

संपूर्ण अधिनियम में से ''या कंपनी के लिए'' पद का लोप।

6. संपूर्ण मूल अधिनियम में, ''या कंपनी के लिए'' शब्दों का, उनका व्याकरणिक भेदों के साथ लोप किया जाएगा।

संपूर्ण अधिनियम में ''न्यायालय'' शब्द के स्थान पर ''केंद्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण'' शब्दों का प्रतिस्थापन।

7. संपूर्ण मूल अधिनियम में, धारा 23 की उपधारा (1क) के स्पष्टीकरण को छोड़कर, ''न्यायालय'' शब्द के स्थान पर, उसके व्याकरणिक भेदों के साथ 'यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 3क का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन से पूर्व आज्ञापक सामाजिक प्रभाव निर्धारण।

'**3क.** जब भी समुचित सरकार का आशय लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने का हो जिसमें—

(i) मैदानी क्षेत्र में एक साथ चार सौ या अधिक कुटुंबों का; या

(ii) संविधान की पांचवीं अनुसूची या छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या पहाड़ी क्षेत्रों या मरुस्थल विकास कार्यक्रम ब्लॉकों में या क्षेत्रों में, एक साथ दो सौ या अधिक कुटुंबों का, वास्तविक विस्थापन अंतर्वलित है वहां सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, जनजाति विकास योजना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या समाज के अन्य अतिसंवेदनशील वर्गों के लिए जोड़ देने की योजना के निगमन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2007 के अध्याय 2, 4, 5 और 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनानुसार प्रस्तावित पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के उपबंध के प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन किया जाएगा।'।

धारा 4 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात् धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है तो वहां इस उपधारा के अधीन पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, उसी भूमि की बाबत एक नई अधिसूचना एक वर्ष की अवधि के लिए निकाली जाएगी:

परंतु यह और कि किसी विशिष्ट भूमि की बाबत उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के दूसरी बार उपगत हो जाने की दशा में, उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही ऐसी अधिसूचना की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक आरंभ नहीं की जाएगी।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1क) कोई भी व्यक्ति, अर्जन की सूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित करने के लिए इस धारा के अधीन ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से धारा 6 के अधीन अंतिम घोषणा तक या अधिनियम की धारा 16 के अधीन दिए गए या संदत्त पंचाट तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा:

परन्तु कलक्टर, इस प्रकार अधिसूचित भूमि की बाबत भूमि के स्वामी द्वारा किए गए आवेदन पर, उन विशेष परिस्थितियों में, जो लेखबद्ध की जाएंगी, ऐसे स्वामी को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा:

परंतु यह और कि इस उपबंध के उसके स्वैच्छिक अतिक्रमण के कारण किसी व्यक्ति को हुई किसी हानि या क्षति की पूर्ति कलक्टर द्वारा नहीं की जाएगी।

(1ख) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किए जाने के पश्चात्, धारा 6 के अधीन घोषणा जारी किए जाने से पूर्व, अर्जन के अधीन भूमि की बाबत भू-अभिलेखों को अद्यतन करने, भूमि और उसके भूधृति के वर्गीकरण, भूमि तथा संपत्ति मूल्यों का सर्वेक्षण और मानकीकरण के कार्य को अपने हाथ में लेगा और उस कार्य को पूरा करेगा।"।

धारा 6 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में,—

(i) "इस अधिनियम के भाग 7 के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण 1 का लोप किया जाएगा।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

11. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सर्वेक्षण, नाप-तौल आदि के दौरान नुकसानी का मूल्यांकन।

"8क. भूमि पर संकर्म करते समय, जैसे कि सर्वेक्षण, अवमृदा की खुदाई या बोरिंग, सीमाओं का चिह्नांकन या खाइयां खोदना या किसी खड़ी फसल को साफ करना, बाड़ लगाना या वन लगाना अथवा ऐसे अन्य कार्य या बात करना जिनसे धारा 4 के अधीन कार्य करते समय विशेषकर उस भूमि से संबंधित कार्य करते समय जिसे अर्जन कार्यवाहियों से बाहर रखा गया है, नुकसान कारित हो सकता है, कारित नुकसानियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उस भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को उक्त संकर्म के पूरा होने से छह मास के भीतर प्रतिकर का संदाय किया जाएगा।"।

धारा 11क का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 11क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

वह अवधि जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा।

"11क. कलक्टर, घोषणा के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय करेगा और यदि उस अवधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन के लिए समस्त कार्यवाहियां व्यपगत हो जाएंगी:

परंतु किसी ऐसे मामले में जहां उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रारंभ के पूर्व प्रकाशित की गई है वहां अधिनिर्णय ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परंतु यह और कि कलक्टर परिसीमा की अवधि के अवसान के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विलंब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, वह छह मास की विस्तारित अवधि के भीतर अधिनिर्णय कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि जहां अधिनिर्णय विस्तारित अवधि के भीतर किया जाता है वहां हकदार व्यक्ति को, न्याय के हित में, अधिनिर्णय किए जाने में विलंब के लिए, इस प्रकार विस्तारित अवधि के प्रत्येक मास के लिए, अधिनिर्णय के मूल्य के कम से कम पांच प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाएगा।''।

धारा 11क के पश्चात् नई धाराओं का अंत:स्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 11क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण।

''11ख. (1) कलक्टर भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा,—

(i) उस क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम भूमि का मूल्य, यदि कोई हो; या 1899 का 2

(ii) उसी गांव में या उसके आस-पास स्थित उसी प्रकार की भूमि की विक्रय कीमत का औसत, जहां उच्च कीमत का संदाय किया गया है वहां तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के कम से कम पचास प्रतिशत से अभिनिश्चित किया गया हो; या

(iii) जहां उच्चतर कीमत का संदाय किया गया है वहां धारा 3 के खंड (च) की मद (iii) के प्रयोजन के लिए उक्त परियोजना के लिए पहले से क्रय की गई भूमि के कम से कम पचास प्रतिशत के लिए संदत्त की गई या संदत्त किए जाने के लिए करार पाई गई कीमतों से अभिनिश्चित की गई विक्रय कीमत का औसत, इनमें से जो भी अधिक हो।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंध इस कारण से लागू नहीं होते हैं कि,—

(i) भूमि ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां पर भूमि में संव्यवहार उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन निर्बन्धित हैं; या

(ii) वैसी ही भूमि के लिए जो उपधारा (1) के खंड (i) में वर्णित है, पूर्ववर्ती तीन वर्ष के रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख उपलब्ध नहीं हैं; या

(iii) समुचित प्राधिकारी द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के अधीन भूमि का न्यूनतम मूल्य विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, 1899 का

वहां संबद्ध राज्य सरकार उक्त भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र की उसके संलग्न क्षेत्र या पास पड़ोस में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए संदत्त उच्चतर औसत कीमत पर पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेखों के कम से कम पचास प्रतिशत से अभिनिश्चित की गई फर्श कीमत विनिर्दिष्ट करेगी और कलक्टर भूमि के मूल्य की संगणना तदनुसार करेगा।

(3) कलक्टर इस अधिनियम के अधीन अर्जित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने से पूर्व अर्जित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए—

(क) ऐसी भूमि के आशयित उपयोग के प्रवर्ग को अभिनिश्चित करेगा; और

(ख) अनुलग्न क्षेत्रों और पास पड़ोस में आशयित प्रवर्ग की भूमि के मूल्य को ध्यान में रखेगा।

(4) कलक्टर, उस भूमि या भवन से जिसका अर्जन किया जाना है, संलग्न भवन और अन्य स्थावर संपत्ति या आस्तियों का बाजार मूल्य अवधारित करने में, सुसंगत क्षेत्र में सक्षम इंजीनियर या किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा जिन्हें कलक्टर आवश्यक समझे।

(5) कलक्टर, वृक्षों और पेड़-पौधों के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कृषि, वन, बागवानी, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में या ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में जिसे वह आवश्यक समझे, अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगी।

(6) कलक्टर, भूमि अर्जन कार्यवाहियों की प्रक्रिया के दौरान खड़ी फसल के नुकसान के मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, कृषि के क्षेत्र में ऐसे अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

शेयरों, डिबेंचरों, आदि द्वारा प्रतिकर का आंशिक संदाय।

11ग. (1) जब भूमि का अर्जन धारा 3 के खंड (च) की मद (iii) के प्रयोजनों के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति, जिसके लिए भूमि का अर्जन किया जाता है, शेयर और डिबेंचर निर्गमित करने के लिए प्राधिकृत कंपनी है तब ऐसी कंपनी, समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने शेयरों या डिबेंचरों की, पचास प्रतिशत तक किंतु किसी भी दशा में, उस व्यक्ति को जिसकी भूमि का अर्जन किया गया है, संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की रकम के बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, प्रस्थापित करेगी।

(2) प्रस्थापना की स्वीकृति पर प्रतिकर की रकम का एक भाग उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा प्रतिकर शोध्य है, शेयरों और डिबेंचरों के अंतरण द्वारा समायोजित किया जाएगा और ऐसे अंतरण पर प्रतिकर के ऐसे भाग की बाबत कंपनी का दायित्व उन्मोचित हो जाएगा।

(3) इस धारा में वर्णित शेयरों और डिबेंचरों का आबंटन कंपनी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "शेयरों और डिबेंचरों" पद का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में है।"। (1956 का 1)

धारा 12 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) कलक्टर, भूमि के अर्जन के मामले में की गई सभी कार्यवाहियों को, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम भी है, इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से अर्जित की गई भूमि के ब्यौरों के साथ जनता के लिए खुला रखेगा और उसका सारांश प्रदर्शित करेगा।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए, संपूर्ण कार्यवाहियों के सारांश में प्रतिकर के संदाय के समय के कार्यक्रम का सारांश, भूमि का कब्जा लेने की तारीखें और ऐसी अन्य जानकारी भी सम्मिलित है जो विहित की जाए।

(5) यह सुनिश्चित करना कलक्टर का दायित्व होगा कि भूमि का वास्तविक कब्जा ले लिया गया है और प्रतिकर की रकम का संदाय अधिनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाले साठ दिन की अवधि के भीतर कर दिया गया है।

(6) अर्जित भूमि का कब्जा तभी लिया जाएगा जब इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर का पूरा संदाय कर दिया गया हो या हकदार व्यक्ति को निविदत्त कर दिया गया हो।"।

धारा 15 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "धाराओं 23 और 24" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 11ख, धारा 23 और धारा 24" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (3) और उपधारा (3क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि और संपत्ति की बाबत जिसके अर्जन की कार्यवाहियां इस धारा की उपधारा (1) के अधीन आरंभी हो चुकी हैं, कलक्टर द्वारा धारा 11ख के अधीन यथाअवधारित बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाएगा।"।

नए भाग 2क और भाग 2ख का अंत:स्थापन।

17. मूल अधिनियम के भाग 2 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'भाग 2क

राज्य प्राधिकरण की स्थापना

भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना।

17क. (1) राज्य सरकार, भूमि अर्जन प्रतिकर से संबंधित विवादों के शीघ्रता से निपटान का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए, (राज्य का नाम) भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की, राज्य सरकार द्वारा भूमि के अर्जन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थापना करेगी :

परंतु राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, यदि वह आवश्यक समझे, एक से अधिक प्राधिकरणों या उसकी शाखाओं का गठन कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) प्राधिकरण अधिक से अधिक तीन किन्तु कम से कम दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण के सदस्य ऐसी योग्यता, सत्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे जिनके पास भूमि अर्जन के मामलों, वित्त, अर्थशास्त्र और विधि का पर्याप्त ज्ञान हो और उनसे संबंधित समस्याओं को हल करने की क्षमता उन्होंने दर्शित की हो।

(5) कोई व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह—

(i) जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ii) जिला कलक्टर की पंक्ति से अनिम्न का राज्य सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है;

(iii) राज्य सरकार के विधि विभाग में निदेशक की पंक्ति से अनिम्न का कोई अधिकारी है या रहा है।

(6) प्राधिकरण के सदस्य कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे।

(7) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय और कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

सदस्यों की पदावधि और उनकी सेवा की अन्य शर्तें।

17ख. (1) सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परंतु सदस्य उस प्राधिकरण में उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसमें उसने पूर्व में पद धारण किया था :

परंतु यह और कि कोई सदस्य, सड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्राधिकरण का सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु सदस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा अपना पद पहले अधित्यक्त करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या

उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पदभार ग्रहण करने तक अथवा अपनी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।

(3) सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परंतु सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें नियुक्ति के पश्चात् उनके अलाभकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएंगी।

सदस्य का हटाया जाना।

17ग. (1) कोई भी सदस्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को उसके पद से, आदेश द्वारा हटा सकेगी, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है;

(ख) ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है;

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) साबित कदाचार का दोषी रहा है।

(3) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी।

17घ. (1) राज्य सरकार प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

प्राधिकरण की कार्यवाहियां।

17ङ प्राधिकरण अपनी बैठकें मुख्यालय पर और ऐसे अन्य स्थान और समय पर करेगा जैसा अध्यक्ष निदेश दे तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

17च. प्राधिकरण के किसी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति को राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसके रिक्ति होने के पश्चात्, यथाशीघ्र भरा जाएगा।

प्राधिकरण की शक्तियां।

17छ.(1) प्राधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन प्रतिकर से संबंधित विवादों के निपटान के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज तथा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य किसी अन्य तात्विक वस्तु की खोज और उसका प्रस्तुतीकरण;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण को अपने समक्ष की किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां।

17ज. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और प्राधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 1860 का 45 1974 का 2

प्राधिकरण द्वारा विवादों का त्वरित निपटान।

17झ. इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन प्रतिकर के निपटान से संबंधित आवेदनों का विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा और विवादों का अंतिम रूप से निपटान धारा 18 के अधीन निर्देश की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना।

17ञ. प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

17ट. किसी सिविल न्यायालय को भूमि अर्जन से संबंधित किसी विवाद को, जिसकी बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कलक्टर या प्राधिकरण को सशक्त किया जाता है, ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और ऐसे किसी विषय की बाबत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

भाग 2ख

केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना

केंद्रीय भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना।

17ठ. (1) केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन प्रतिकर से संबंधित विवादों का त्वरित निपटान करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा केंद्रीय भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक या अधिक प्राधिकरणों की, केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, स्थापना कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में उन विषयों और स्थानों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।

(3) केंद्रीय प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(4) कोई व्यक्ति केंद्रीय प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए तभी अर्हित होगा जब।

(*i*) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या

(*ii*) उसने संघ का कोई विधायी या विधिक पद कम से कम पंद्रह वर्ष तक धारण किया है और कम से कम तीन वर्ष तक भारतीय विधिक सेवा की श्रेणी 2 में पद धारण किया है; या

(*iii*) वह ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है या रहा है जिसके पास भूमि अर्जन का पर्याप्त ज्ञान है और किसी जिले के कलक्टर का पद या भारत सरकार में संयुक्त सचिव के समतुल्य पद धारण किया है:

परंतु खंड (*i*) के अधीन किसी आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।

(5) केंद्रीय प्राधिकरण का एक सचिवालय होगा जिसमें एक महासचिव और उतने अन्य कर्मचारिवृंद होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।

प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण से संबंधित कतिपय उपबंधों का केंद्रीय प्राधिकरण को लागू होना।

धारा 17ख, धारा 17ग, धारा 17घ, धारा 17ङ, धारा 17च, धारा 17छ, धारा 17ज, धारा 17झ, धारा 17ञ और धारा 17ट के उपबंध केन्द्रीय प्राधिकरण को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:—

'(क) ''प्राधिकरण'' के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''केंद्रीय प्राधिकरण'' के प्रतिनिर्देश है;

(ख) ''राज्य सरकार'' के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ''केंद्रीय सरकार'' के प्रतिनिर्देश है;

(ग) धारा 17ग की उपधारा (2) में ''किसी सदस्य'' के प्रतिनिर्देश के स्थान पर ''उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के सिवाय किसी सदस्य'' के प्रतिनिर्देश रखा जाएगा।'।

धारा 18 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(*i*) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण को निर्देश करेगा:

परंतु यह और कि जहां कलक्टर इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा निर्देश करने में असफल रहता है वहां आवेदक, यथास्थिति, केंद्रीय प्राधिकरण को या प्राधिकरण को यह अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा कि वह कलक्टर को यह निर्देश दे कि कलक्टर उसे तीस दिन की अवधि के भीतर निर्देश करे।'';

(*ii*) उपधारा (2) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि कलक्टर उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् आवेदन एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के भीतर ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन फाइल न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण था।''।

धारा 23 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(*i*) उपधारा (1) में, ''प्रथम'' मद में, ''उस भूमि का बाजार मूल्य'' शब्दों के स्थान पर ''धारा 11ख के निबंधनानुसार उस भूमि का बाजार मूल्य'' शब्द रखे जाएंगे;

(*ii*) उपधारा (2) में, ''तीस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''साठ प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28क के पश्चात् नई धारा का अंतस्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 28क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लंबित या अनिर्णीत मामलों में प्रतिकर की रकम का अवधारण।

"28ख. जहां भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रवर्तन में आने से पूर्व इस अधिनियम के अधीन कोई अधिनिर्णय किसी प्रक्रम पर लंबित है या उसका निपटान नहीं हुआ है, वहां हकदार व्यक्ति को संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण उक्त अधिनियम द्वारा यथा अंत:स्थापित धारा 11ख के आधार पर किया जा सकेगा।"।

भाग 7 का लोप।

21. मूल अधिनियम के "कंपनियों के लिए भूमि अर्जन" से संबंधित भाग 7 और धारा 38 से धारा 44ख (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 54क और धारा 54ख का अंत:स्थापन।

22. मूल अधिनियम की धारा 54 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

उस प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोजन जिसके लिए वह अर्जित की जाती है।

"54क. (1) इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि किसी लोक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए और समुचित सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात् अंतरित नहीं की जाएगी।

(2) जब इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि या उसका भाग, उसका कब्जा लिए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित पड़ा रहता है तब वह समुचित सरकार द्वारा वापस लौटा दी जाएगी।

जब भूमि उच्चतर प्रतिफल के लिए अंतरित की जाती है तब भूमि की कीमत में अंतर में भू-स्वामियों का हिस्सा होना।

54ख. जब भी इस अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि किसी व्यक्ति को प्रतिफल के लिए अंतरित की जाती है तब अर्जन की लागत में और प्राप्त प्रतिफल में अंतर का अस्सी प्रतिशत, जो किसी भी दशा में अर्जन की लागत से कम नहीं होगा, उन व्यक्तियों में जिनसे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों में उस मूल्य के अनुपात में बांटा जाएगा जिस पर भूमि अर्जित की गई थी और उस प्रयोजन के लिए एक पृथक निधि रखी जाएगी जो कलक्टर द्वारा ऐसी रीति में विहित की जाए, प्रकाशित की जाएगी।"।

धारा 55 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) में,—

(*i*) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(*ii*) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु" शब्द रखा जाएगा;

(*iii*) तीसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम) लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भी भूमि के अर्जन के लिए एक प्रभावी उपकरण रहा है फिर भी इसके उपबंध प्राइवेट भूमि और संपत्ति के अस्वैच्छिक अर्जन के लिए राज्य की कानूनी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कतिपय विवाद्यकों का समाधान करने में अपर्याप्त पाए गए हैं ।

2. प्रायः, भूमि के ऐसे अर्जन से मनुष्यों का विस्थापन होता है, वे अपनी आजीविका और आश्रय से वंचित कर दिए जाते हैं, उनके परंपरागत संसाधन तक पहुंच निर्बंधित हो जाती है और उनको उनके सामाजिक--सांस्कृतिक पर्यावरण से अलग कर दिया जाता है । इनके प्रभावित जनसंख्या के लिए अभिघातज, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक--सांस्कृतिक परिणाम होते हैं जिनसे उनके अधिकारों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है जिनके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जनजातियों, अभिधारियों आदि के अधिकार भी हैं । प्राइवेट भूमि और स्थावर संपत्ति के अस्वैच्छिक अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन सर्वोपरि महत्वपूर्ण है । अतः, अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के लिए विस्तारित नीतियों या कानूनों के उपबंधों के लागू होने को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है ।

3. अधिनियम के अधीन "हितबद्ध व्यक्ति" पद की परिधि को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है जिससे उसके अंतर्गत उन जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को लाया जा सके जिन्होंने अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई परंपरागत अधिकारों को खो दिया है । इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को भी जिनको सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिधृत अधिकार प्राप्त हैं, भूमि "हितबद्ध व्यक्ति" के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है ।

4. यद्यपि भूमि अर्जन अधिनियम में लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन का उपबंध है किन्तु "लोक प्रयोजन" पद को परिभाषित नहीं किया गया है । इसलिए, "लोक प्रयोजन" को परिभाषित करने की आवश्यकता है जिससे अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के विस्तार क्षेत्र को राज्य के लिए सामरिक महत्व और ऐसी अवसंरचनात्मक परियोजनों के प्रयोजनों के लिए जहां आम जनता को उपगत फायदा आवश्यक है, भूमि के उपबंध को निर्बंधित किया जा सके ।

5. अधिनियम के उपबंधों का उपयोग कंपनियों के लिए प्राइवेट भूमि का अर्जन करने के लिए भी किया जाता है । इससे अक्सर राज्य के ऐसे हस्तक्षेप की वांछनीयता पर प्रश्न चिह्न लगते रहते हैं जब कंपनी द्वारा भूमि की व्यवस्था "इच्छुक विक्रेता--इच्छुक क्रेता" के आधार पर प्राइवेट बातचीत के द्वारा की जाती है जो भूमि के स्वामी की दृष्टि से अधिक उचित व्यवस्था प्रतीत होती है । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम के अधीन कंपनियों के लिए भूमि के अर्जन से संबंधित उपबंधों का लोप किया जाना वांछनीय है । तथापि, कतिपय परिस्थितियों में, जब "व्यक्ति" ने पहले ही शेष भूमि का प्राइवेट बातचीत के द्वारा क्रय कर लिया है, और प्रयोजन आम जनता के लिए लाभदायक है, अपेक्षित भूमि के कुल क्षेत्रफल के सीमित भाग तक कानूनी तंत्र के माध्यम से भूमि का अर्जन करना आवश्यक हो सकेगा । ऐसे "व्यक्ति" के अंतर्गत किसी कंपनी या संगम या व्यष्टियों के निकाय को, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित किया जा सकता है ।

6. इसके अतिरिक्त, यह अनुभव रहा है कि भूमि अर्जन से संबंधित प्रतिकर के बारे में अनेकों विवाद न्यायालय के समक्ष लाए गए हैं । इनमें से अधिकांश मामले न्यायालयों के

समक्ष काफी लंबे समय तक लंबित बने रहते हैं । ऐसे मामलों से न्यायालय के कार्य के भार में और वृद्धि होती है जिनके पास पहले से ही भूमि अर्जन से संबंधित मामलों से भिन्न मामले काफी संख्या में लंबित हैं । इस प्रकार, यह वांछनीय होगा कि भूमि अर्जन से संबंधित प्रतिकर संबंधी विवादों के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को वर्जित किया जाए और समयबद्ध रीति में ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए अन्य तंत्र सृजित किया जाए ।

7. यह भी वांछनीय होगा कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समयबद्ध बनाया जाए जिससे संपूर्ण प्रक्रिया युक्तियुक्त समय के भीतर पूरी की जा सके । यह उन भूमि स्वामियों और किसानों के, जिनकी भूमि अर्जित की जाती है तथा परियोजनाओं और अर्जन करने वाले निकायों के हित में होगा ।

8. इस अधिनियम के लागू होने में चिंता का एक और क्षेत्र उस प्रयोजन के अनुरूप, जिसके लिए अर्जित भूमि का उपयोग किया जाएगा, बाजार मूल्य पर एक उचित प्रतिकर का उपबंध करने के बारे में रहा है । तदनुसार अधिनियम में कतिपय उपबंधों को पुरःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, अर्जन की अस्वैच्छिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भूमि स्वामियों को एक पर्याप्त तोषण की रकम प्रस्थापित की जानी चाहिए और अत्यावश्यकता में अर्जन के मामलों में रकम अधिक हो सकती है ।

9. प्रायः यह देखा जाता है कि अर्जित भूमि का कब्जा समय के भीतर नहीं लिया जाता है और प्रतिकर की रकम के संदाय में भी विलंब होता है । इसलिए, यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जाए कि भूमि का अधिनियम के अधीन प्रतिकर के अधिनिर्णय की तारीख से एक निश्चित अवधि के भीतर वास्तविक कब्जा ले लिया गया है और प्रतिकर की रकम का संदाय कर दिया गया है ।

10. अर्जित भूमि के उपयोग और उसके अंतरण से संबंधित विवाद्यक भी चिंता के विषय हैं । यहां पर ऐसे उपबंध किए जाने का प्रस्ताव हैं जिससे अर्जित भूमि लोक प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए और वह भी समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, अंतरित न की जाए । जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि या उसका भाग कब्जा लेने की तारीख से एक निश्चित अवधि तक उपयोग में नहीं लाया गया है तब वह समुचित सरकार को लौटा दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, जब भी अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भूमि किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति को अंतरित की जाती है तब अंतरक को इस प्रकार उपगत होने वाली शुद्ध अनुपार्जित आय उन व्यक्तियों, जिनसे भूमि अर्जित की गई थी या उनके वारिसों, के बीच उस मूल्य के अनुपात में विभाजित की जाएगी जिस पर भूमि का अर्जन किया गया था ।

11. इन आधारों पर भूमि अर्जन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने से विकास और अन्य लोक प्रयोजनों के लिए भूमि की आवश्यकता और उन व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के बीच जिनकी भूमि कानूनी रूप से अर्जित की गई है, संतुलन बना रहेगा ।

12. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह**

30 नवंबर, 200~

खंडों पर टिप्पण

खंड 2 और खंड 3—वृहत नाम और उद्देशिका से "और कंपनियों के लिए" शब्दों का लोप करने के लिए हैं ।

खंड 4—इस अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2007 के उपबंधों के लागू होने के लिए उपबंध करने हेतु नई धारा 1क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 5—कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित धारा 3 का संशोधन करने, अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप नए पदों की परिभाषाएं आदि अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 6— "या कंपनी के लिए" शब्दों का, व्याकरणिक रूपभेदों के साथ, (जहां—जहां वे अधिनियम में आते हैं), लोप करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए है ।

खंड 7—"न्यायालय" शब्द के स्थान पर, (व्याकरणिक रूपभेदों के साथ), "यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण या प्राधिकरण" शब्द रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए है ।

खंड 8—कतिपय संख्या में परिवारों के विस्थापन के मामलों में अधिनियम के अधीन भूमि का अर्जन करने से पूर्व आज्ञापक सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित नई धारा 3क का अंतःस्थापन करने के लिए है ।

खंड 9—यह उपबंध करने के लिए धारा 4 का संशोधन करने के लिए है कि एक ही भूमि की बाबत एक वर्ष की अवधि तक कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी और पांच वर्ष की अवधि तक कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं की जाएंगी यदि उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना दूसरी बार व्यपगत हो जाती है । यह, अंतिम घोषणा तक अर्जन की सूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार करने से किसी भी व्यक्ति को वर्जित करने के लिए है ।

खंड 10—धारा 6 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जिससे इस उपधारा को "अधिनियम के भाग 7 के उपबंधों के अध्यधीन" न बनाया जा सके । यह पहले परंतुक में निर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से संबंधित स्पष्टीकरण 1 का लोप करने के लिए है ।

खंड 11—सर्वेक्षण, माप—तौल आदि के दौरान नुकसानियों के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए नई धारा 8क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 12—नई धारा 11क को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिनिर्णय एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा ; अपरिहार्य परिस्थितियों और उन कारणों से विलंब के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अधिनिर्णय छह मास की विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसी विस्तारित अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का संदाय किया जाएगा ।

खंड 13—नई धारा 11ख और धारा 11ग अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित नई धारा 11ख बाजार मूल्य का निर्धारण और अवधारण करने के लिए मानदंड, जैसे कि स्टांप अधिनियम में विनिर्दिष्ट भूमि का न्यूनतम मूल्य, यदि कोई हो, उसी तरह की भूमि की औसत विक्रय कीमत या उसी परियोजना के लिए पहले से क्रय की गई भूमि के लिए संदत्त औसत विक्रय कीमत उपबंधित करती है ; राज्य सरकार प्रति यूनिट क्षेत्रफल का निम्नतम मूल्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी । प्रस्तावित नई धारा 11ग, जहां कंपनी शेयर निर्गमित करने के

लिए प्राधिकृत है वहां शेयरों, डिबेंचरों आदि के द्वारा प्रतिकर के आंशिक संदाय का उपबंध करती है ।

खंड 14--धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जो कलक्टर पर संपूर्ण कार्यवाहियों का सार खुला रखने और उसे प्रदर्शित करने का कर्तव्य डालती है, ऐसे सार में प्रतिकर के संदाय का कार्यक्रम, कब्जा लेने की तारीख आदि सम्मिलित होंगी ; अधिनिर्णय की तारीख से साठ दिन के भीतर भूमि का वास्तविक कब्जा और प्रतिकर के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए भी उपबंध करती है ।

खंड 15--धारा 15 का संशोधन करने के लिए है जिससे उसमें नई धारा 11ख के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

खंड 16--अतिरिक्त प्रतिकर के प्रयोजन के लिए नई धारा 11ख के परिणामस्वरूप धारा 17 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 17--भाग 2क और भाग 2ख अंतःस्थापित करने के लिए है । प्रस्तावित भाग 2क राज्य प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है और उसमें प्रस्तावित नई धारा 17क से धारा 17ट तक अंतर्विष्ट हैं । ये धाराएं राज्य द्वारा भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण की स्थापना, प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की अर्हताओं, प्राधिकरण के सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों, किसी सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों को पद से हटाने, प्राधिकरण की कार्यवाहियों, आकस्मिक रिक्तियों को भरने, प्राधिकरण की शक्तियों, विवादों के त्वरित निपटान, सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होने तथा सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन करने के बारे में है ।

प्रस्तावित भाग 2ख केन्द्रीय प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है और इसमें धारा 17ठ से धारा 17ड अंतर्विष्ट हैं । ये धाराएं केन्द्रीय भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण, प्राधिकरण की संरचना, सदस्यों की अर्हताओं आदि के बारे में हैं ; और धारा 17ख से धारा 17ट (दोनों धाराओं सहित) के उपबंधों का केन्द्रीय प्राधिकरण को "प्राधिकरण" और "राज्य सरकार" के प्रतिनिर्देशों में आवश्यक उपांतरण सहित क्रमशः "केन्द्रीय प्राधिकरण" और "केन्द्रीय सरकार" के रूप में पढ़ते हुए लागू होने के बारे में है, तथा धारा 17ग में "कोई सदस्य" के प्रतिनिर्देश को, "किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के सिवाय किसी सदस्य" के रूप में पढ़े जाने के लिए है ।

खंड 18--कलक्टर द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को निर्देश किए जाने के प्रयोजन के लिए धारा 18 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 19--नई धारा 11ख के परिणामस्वरूप धारा 23 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 20--ऐसे मामलों में जो इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रम पर लंबित हैं या जिनका निपटारा नहीं किया गया है, प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए नई धारा 28ख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 21--कंपनियों के लिए भूमि अर्जन से संबंधित अधिनियम के भाग 7 और धारा 38 से धारा 44ख (दोनों धाराओं सहित) का लोप करने के लिए है ।

खंड 22--नई धारा 54क और धारा 54ख अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह अर्जित की जाती है और जहां भूमि बाद में किसी उच्चतर प्रतिफल के लिए अंतरित की जाती है तो भूमि की कीमत में अंतर को भू--स्वामियों में बांट दिया जाएगा ।

खंड 23--अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (1) के पहले परंतुक का लोप करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 17 अधिनियम में नई धारा 17ठ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिसके अधीन यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन प्रतिकर से संबंधित विवादों का त्वरित निपटान करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय भूमि अर्जन प्रतिकर विवाद निपटान प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक या अधिक प्राधिकरणों की, केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि के अर्जन के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, अधिसूचना द्वारा स्थापना कर सकेगी। केन्द्रीय प्राधिकरण अध्यक्ष और कम से कम ऐसे दो सदस्यों से मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसका एक सचिवालय होगा जिसमें महासचिव और अन्य कर्मचारिवृंद होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं। वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और केन्द्रीय प्राधिकरण के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

इससे आवर्ती तथा अनावर्ती प्रकृति का ऐसा व्यय अंतर्वलित होगा जो मंत्रालय के प्रशासनिक व्यय का एक भाग होगा।

प्रस्तावित विधेयक के अधीन अंतर्वलित होने वाला सही व्यय ऊपर वर्णित प्राधिकरण की संरचना पर निर्भर करेगा जिसका विनिश्चय विधेयक के पारित होने के पश्चात् किया जाएगा। अतः इस प्रक्रम पर इस प्रयोजन के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय का सही प्राक्कलन करना व्यवहार्य नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 8 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में नई धारा 3क अंतःस्थापित करने के लिए है जो उक्त अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन से पूर्व आज्ञापक सामाजिक प्रभाव निर्धारण के संबंध में है । नई धारा 3क केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा वह रीति और समय विहित करने के लिए सशक्त करती है जिसमें नई धारा में वर्णित सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन और अन्य विषयों पर कार्रवाई की जाएगी । खंड 13 भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में नई धारा 11ग अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे ऐसी रीति में जो विहित की जाए, शेयर और डिबेंचर आबंटित किए जा सकें । खंड 14 अधिनियम की धारा 12क, प्रतिकर के संदाय का और अन्य संबंधित विषयों का नियम विहित करते हुए उपबंध करने हेतु, संशोधन करने के लिए है ।

2. प्रस्तावित धारा 17ख की उपधारा (3) और धारा 17घ की उपधारा (2), जो 1894 के अधिनियम में विधेयक की धारा 17 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों और उक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी । केन्द्रीय प्राधिकरण के संबंध में धारा 17ङ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे ही नियम बनाए जा सकते हैं ।

3. विधेयक का खंड 22, 1894 के अधिनियम में नई धारा 54ख अंतःस्थापित करने के लिए है जो, जब भूमि उच्चतर प्रतिफल के लिए अंतरित की जाए, भूमि की कीमत में अंतर को भूमि के स्वामियों में बांटे जाने का उपबंध करती है और नई धारा 54ख के प्रयोजनों के लिए निधि रखने और उसका प्रशासन करने के लिए नियम बनाने का उपबंध भी करती है ।

4. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 55 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

पूर्वोक्त विषय, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषयों से संबंधित हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्यांक 1) से उद्धरण

लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन करने के लिए विधि का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

यह समीचीन है कि लोक प्रयोजनों के लिए और कम्पनियों के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन करने के लिए और ऐसे अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम अवधारित करने के लिए विधि का संशोधन किया जाए; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:—

भाग 1

प्रारंभिक

* * * *

3. (1) * * * * परिभाषाएं।

(ख) "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि के अन्तर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन लेखे दिए जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं, और कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा यदि वह भूमि पर प्रभाव डालने वाले सुखाचार में हितबद्ध है;

* * * *

(घ) "न्यायालय" शब्द से आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय अभिप्रेत है, जब तक कि समुचित सरकार ने इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के कृत्यों का पालन करने के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अन्दर किसी विशेष न्यायिक आफिसर की नियुक्ति (जिसे करने के लिए वह एतद्द्वारा सशक्त की जाती है) न कर दी हो;

(ङ) "कम्पनी" शब्द से—

1956 का 1 (i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी से भिन्न है।

1860 का 21 (ii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सोसाइटी से भिन्न है;

(iii) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अर्थ में ऐसी सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो खंड (गग) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी से भिन्न है;

(ङङ) "समुचित सरकार" पदावलि से संघ के प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार और किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन करने के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) "लोक प्रयोजन" पदावलि के अन्तर्गत—

(i) ग्राम-आस्थानों या विद्यमान ग्राम-आस्थानों के विस्तारण, योजनाबद्ध विकास या सुधार का उपबंध करना;

(ii) नगर या ग्राम योजना के लिए भूमि का उपबंध करना;

(iii) सरकार की किसी स्कीम या नीति के अनुसरण में लोक निधियों से भूमि के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का उपबंध करना तथा योजनाबद्ध और विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसका पट्टे, समनुदेशन या तत्काल विक्रय द्वारा पूर्णत: या भागत: पश्चात्वर्ती व्ययन करना;

(iv) राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम के लिए भूमि का उपबंध करना;

(v) गरीबों या भूमिहीनों के लिए अथवा प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम द्वारा चलाई गई किसी स्कीम के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित या प्रभावित व्यक्तियों के आवासिक प्रयोजनों के लिए भूमि का उपबंध करना;

(vi) सरकार द्वारा या किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा जो किसी शैक्षणिक, आवासन, स्वास्थ्य या गंदी बस्ती सफाई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, या समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत किसी 1860 का 21 तत्स्थानी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि के अर्थ में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किसी ऐसी स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए भूमि का उपबंध करना;

(vii) सरकार द्वारा या समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित किसी अन्य विकास स्कीम के लिए भूमि का उपबंध करना;

(viii) कोई लोक कार्यालय स्थापित करने के लिए किसी स्थान या भवन का उपबंध करना,

आता है किंतु इसके अंतर्गत कंपनियों के लिए भूमि का अर्जन नहीं आता है;

(छ) निम्नलिखित व्यक्तियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे एतत्पश्चात् यथा उपबन्धित रीति में और विस्तार तक "कार्य करने के लिए हकदार" व्यक्ति हैं (अर्थात्)—

अन्य फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्तियों के न्यासियों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे ऐसे किसी मामले की बाबत कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति हैं और उस विस्तार तक हकदार हैं जहां तक कि यदि फायदा पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति निर्योग्यता से मुक्त होते तो वे कार्य कर सकते,

विवाहित स्त्री की बाबत उन मामलों में, जिन्हें कि इंग्लिश विधि लागू है यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार कार्य करने के लिए हकदार है और चाहे वह पूर्णवयस की हो या न हो, उस विस्तार तक हकदार है जहां तक कि यदि वह अविवाहित और पूर्णवयस की होती तो वह हकदार होती; तथा

अप्राप्तवयों के संरक्षकों और पागलों या जड़ों के सुपुर्ददारों या प्रबन्धकों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे क्रमश: ऐसे कार्य करने के लिए हकदार उस विस्तार तक हैं जहां तक कि यदि वे अप्राप्तवय, पागल या जड़ निर्योग्यता से मुक्त होते तो स्वयं कार्य कर सकते:

परन्तु—

(i) किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि वह "कार्य करने के लिए हकदार है" जिस व्यक्ति के विषय-वस्तु में हित की बाबत कलक्टर या न्यायालय को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि वह उस हितबद्ध व्यक्ति के हित के प्रतिकूल है जिसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार वह अन्यथा होता;

(ii) हितबद्ध व्यक्ति ऐसे हर मामले में वाद-मित्र द्वारा उपसंजात हो सकेगा या वाद-मित्र द्वारा उपसंजाति के अभाव में, यथास्थिति, कलक्टर या न्यायालय मामले के संचालन में उसके निमित्त कार्य करने के लिए उसका वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा;

(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1980 की पहली अनुसूची के आदेश 32 के उपबन्ध यथावश्यक 1908 का 5 परिवर्तन सहित उन हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे जो इस अधिनियम के अधीन आने वाली कार्यवाहियों में कलक्टर या न्यायालय के समक्ष वाद-मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा उपसंजात होते हैं; तथा

(iv) "कार्य करने के लिए हकदार" कोई भी व्यक्ति वह प्रतिकर-धन प्राप्त करने के लिए, जो उस व्यक्ति को संदेह है जिसके लिए वह कार्य करने के लिए हकदार है, तब के सिवाय सक्षम

नहीं होगा जबकि वह भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए और स्वैच्छिक विक्रय पर क्रय-धन प्राप्त करने और उसके लिए प्रभावी उन्मोचन देने के लिए सक्षम होता।

भाग 2
अर्जन
प्रारंभिक अन्वेषण

4. (1) जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी परिक्षेत्र में की भूमि की किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कंपनी के लिए आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तब उस भाव वाली एक अधिसूचना शासकीय राजपत्र में और उस परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से कम से कम एक प्रादेशिक भाषा में होगा, प्रकाशित की जाएगी और कलक्टर ऐसी अधिसूचना के सारांश की लोक सूचना उक्त परिक्षेत्र में के सुविधापूर्ण स्थानों पर दिलवाएगा। (ऐसे प्रकाशन और ऐसी लोक सूचना दिए जाने की तारीखों में बाद वाली तारीख को इसमें इसके पश्चात अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख कहा गया है)

प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन और ऐसा होने पर आफिसरों की शक्तियां।

*   *   *   *   *

आशयित अर्जन की घोषणा

6. (1) इस अधिनियम के भाग 7 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि जब समुचित सरकार का समाधान धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन की गई किसी रिपोर्ट पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् हो जाता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी कम्पनी के लिए किसी विशिष्ट भूमि की आवश्यकता है तब ऐसी सरकार के किसी सचिव के या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी आफिसर के हस्ताक्षरों के अधीन ऐसे भाव की एक घोषणा की जाएगी और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक ही अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली किसी भूमि के विभिन्न खण्डों की बाबत विभिन्न घोषणाएं समय-समय पर, की जा सकेंगी चाहे धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन (जहां भी अपेक्षित हो) एक रिपोर्ट दी गई हो या विभिन्न रिपोर्टें दी गई हों:

इस बात की घोषणा कि भूमि लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

परन्तु धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के,—

1967 का 1
1984 का 68

(i) जो भूमि अर्जन (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1967 के प्रारम्भ के पश्चात् किन्तु भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984, के प्रारम्भ के पूर्व प्रकाशित की गई है, अंतर्गत आने वाली किसी विशिष्ट भूमि की बाबत कोई घोषणा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी; या

1984 का 68

(ii) जो भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984, के प्रारम्भ के पश्चात् प्रकाशित की गई है, अंतर्गत आने वाली किसी विशिष्ट भूमि की बाबत कोई घोषणा ऐसे प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि ऐसी घोषणा तब तक के सिवाय नहीं की जाएगी जब कि ऐसी संपत्ति के लिए अधिनिर्णीत किया जाने वाला प्रतिकर कम्पनी द्वारा, या पूर्णत: या भागत: लोक राजस्वों में से, या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी निधि में से, संदत्त किया जाना है।

स्पष्टीकरण 1—पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कालावधि की संगणना करने में उस कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके द्वारा धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है।

11. (1) कलक्टर द्वारा मापों, मूल्य और दावों की जांच और अधिनिर्णय ऐसे नियत दिन या किसी भी अन्य दिन, जिसके लिए वह जांच स्थगित कर गई है, कलक्टर उन आक्षेपों की (यदि कोई हो), जो धारा 9 के अधीन निकाली गई सूचना के अनुसरण में किसी हितबद्ध व्यक्ति ने धारा 8 के अधीन किए गए मापों की बाबत किए हैं और [धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर]

कलक्टर द्वारा जांच और अधिनिर्णय।

भूमि के मूल्य की और प्रतिकर के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों के क्रमिक हितों की जांच करने के लिए अग्रसर होगा और—

(*i*) भूमि के सही क्षेत्रफल की बाबत;

(*ii*) उस प्रतिकर की बाबत, जो उसकी राय में भूमि के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए; तथा

(*iii*) जिन व्यक्तियों के संबंध में यह ज्ञात है या विश्वास किया जाता है कि वे भूमि में हितबद्ध हैं, उन सब व्यक्तियों में से उनमें. जिनके संबंध में या जिनके दावों के संबंध में उसे जानकारी है, भले हीं वे उसके सामने उपसजात हुए हों या नहीं, उक्त प्रतिकर के प्रभाजन की बाबत,

स्वहस्ताक्षरित अधिनिर्णय देगा:

परन्तु कलक्टर द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई अधिनिर्णय समुचित सरकार के या ऐसे अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा जिसे समुचित सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे:

परन्तु यह और कि समुचित सरकार यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि कलक्टर ऐसे वर्ग के मामलों में जिन्हें समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे अनुमोदन के बिना ऐसा अधिनिर्णय कर सकेगा।]।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर कलक्टर का यह समाधान हो जाता है कि भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों ने, जो उसके समक्ष उपसंजात हुए थे, समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित प्ररूप में कलक्टर के अधिनिर्णय में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों के संबंध में लिखित रूप में करार किया है तो वह और जांच किए बिना ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार अधिनिर्णय कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी भूमि के लिए प्रतिकर के अवधारण से उसी परिक्षेत्र में या अन्यत्र अन्य भूमियों की बाबत इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार प्रतिकर का अवधारण किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई करार उस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायीं नहीं होगा।]।

वह कालावधि जिसके भीतर अधिनिर्णय किया जाएगा।

11क. कलक्टर घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर धारा 11 के अधीन अधिनिर्णय करेगा और यदि उस कालावधि के भीतर कोई अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो भूमि के अर्जन के लिए समस्त कार्यवाहियां व्यपगत हो जाएंगी:

परंतु किसी ऐसे मामले में, जहां उक्त घोषणा भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ के पूर्व प्रकाशित की गई है वहां अधिनिर्णय ऐसे प्रारम्भ से दो वर्ष की कालावधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में निर्दिष्ट दो वर्ष की कालावधि के संगणना करने में उस कालावधि को अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है।

*   *   *   *

वे बातें, जिन पर ध्यान दिया जाएगा और जिनकी उपेक्षा की जाएगी।

15. प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में कलक्टर धाराओं 23 और 24 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों द्वारा मार्गदर्शित होगा।

*   *   *   *

भाग 3

न्यायालय को निर्देश और तदुपरि प्रक्रिया

18. (1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, जिसने अधिनिर्णय प्रतिगृहीत नहीं किया है, चाहे उस व्यक्ति का आक्षेप भूमि के माप के, चाहे प्रतिकर की रकम के, चाहे उन व्यक्तियों के, जिनको वह संदेय है, चाहे हितबद्ध व्यक्तियों में प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में हो, कलक्टर से किए गए लिखित आवेदन द्वारा इस बात की अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को कलक्टर न्यायालय के अवधारण के लिए निर्देशित कर दे। न्यायालय को निर्देश।

(2) आवेदन उन आधारों का कथन करेगा जिन पर कि अधिनिर्णय पर आक्षेप किया गया है:

परन्तु ऐसा हर आवेदन—

(क) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जो ऐसा आवेदन करता है, कलक्टर के सामने उस समय जब कलक्टर ने अधिनिर्णय दिया था उपस्थित था या उसका प्रतिनिधित्व किया गया था, कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह सप्ताह के भीतर,

(ख) अन्य दशाओं में धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन कलक्टर से सूचना की प्राप्ति के छह सप्ताह और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख से छह मास में से जिस कालावधि का पहले अवसान हो उसके भीतर किया जाएगा।

19. (1) निर्देश करने में कलक्टर न्यायालय की जानकारी के लिए— न्यायालय के लिए कलक्टर का कथन।

(क) उस भूमि पर के किन्हीं वृक्षों, निर्माणों और खड़ी फसलों की विशिष्टियों सहित भूमि के अवस्थान और विस्तार का;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के नामों का, जिनको ऐसी भूमि में हितबद्ध समझने का उसके पास कारण है;

(ग) उस रकम का, जो नुकसानी के लिए धाराओं 5 और 17 या दोनों में से किसी के अधीन अधिनिर्णीत की गई है और संदत्त या निविदत्त की गई है और प्रतिकर की रकम का, जो धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत की गई है;

(घ) उस दशा में, जिसमें कि आक्षेप प्रतिकर की रकम के बारे में है, उन आधारों का, जिन पर प्रतिकर की रकम अवधारित की गई थी,

हस्ताक्षरित लिखित कथन करेगा।

(2) उक्त कथन के साथ एक अनुसूची संलग्न की जाएगी, जिसमें उन सूचनाओं की, जिनकी तामील हितबद्ध पक्षकारों पर की गई है और उन पक्षकारों द्वारा किए गए या परिदत्त लिखित कथनों की तत्संबद्ध विशिष्टियां दी गई होंगी।

20. न्यायालय तदुपरि वह दिन विनिर्दिष्ट करने वाली, जिसको न्यायालय आक्षेप के अवधारण के लिए अग्रसर होगा, और न्यायालय के समक्ष उस दिन को उनकी उपसंजाति के लिए निदेश देने वाली सूचना की तामील निम्नलिखित व्यक्तियों पर, अर्थात्:— सूचना की तामील।

(क) आवेदक पर;

(ख) आक्षेप में हितबद्ध सब व्यक्तियों पर, उनमें से ऐसों के सिवाय (यदि कोई हों) जो अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय किसी अभ्यापति के बिना प्राप्त करने के लिए सम्मत हो गए हैं; तथा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि आक्षेप भूमि के क्षेत्रफल या प्रतिकर की रकम के बारे में है, पर कलक्टर, जाएगा।

*　　　　*　　　　*

प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जाने वाली बातें।

23. (1) उस प्रतिकर की, जो इस अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि के लिए अधिनिर्णीत किया जाना है, रकम अवधारित करने में न्यायालय—

प्रथम, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि का बाजार मूल्य;

द्वितीय, वह नुकसान जो हितबद्ध व्यक्ति किन्हीं ऐसी खड़ी फसलों या वृक्षों के ले लिए जाने के कारण उठाया हो जो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, उस समय उस भूमि पर हों;

तृतीय, वह नुकसान, (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने ऐसी भूमि अपनी दूसरी भूमि से अलग किए जाने के कारण उस समय उठाया हो जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया;

चतुर्थ, वह नुकसान (यदि कोई हो), जो हितबद्ध व्यक्ति ने उस समय जब कलक्टर ने उस भूमि पर कब्जा किया, इस कारण उठाया हो कि उस अर्जन से उसकी अन्य स्थावर या जंगम सम्पत्ति पर किसी अन्य रीति में या उसके उपार्जनों पर क्षतिकर प्रभाव पड़ा है;

पंचम, उस दशा में, जिसमें कि हितबद्ध व्यक्ति कलक्टर द्वारा उस भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप अपना निवास या कारबार का स्थान बदलने के लिए विवश हो जाता है, ऐसी तब्दीली से अनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो); तथा

षष्ठम, वह नुकसान (यदि कोई हो), जो धारा 6 के अधीन घोषणा के प्रकाशन के समय और कलक्टर द्वारा उस भूमि पर कब्जा किए जाने के समय के बीच भूमि से लाभों में घटती होने के परिणामस्वरूप सद्भाव रहते हुए भी हुआ हो,

विचार में लेगा।

[(1क) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित है न्यायालय प्रत्येक मामले में ऐसी भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के अधिनिर्णय की तारीख तक या उस भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक की, इनमें से जो भी पहले हो, कालावधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित रकम अधिनिर्णीत करेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में ऐसी कालावधि या कालावधियों को, जिनके दौरान भूमि के अर्जन के लिए कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश द्वारा, रोक आदेश या व्यादेश के कारण रोक दी गई थी, अपवर्जित कर दिया जाएगा।]

(2) भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर उपबंधित किया गया है, हर मामले में न्यायालय ऐसे बाजार मूल्य तीस प्रतिशत के बराबर राशि अर्जन के वैवश्यिक प्रकृति का होने के प्रतिफलस्वरूप अधिनिर्णीत करेगा।

वे बातें जिनकी प्रतिकर अवधारित करने के उपेक्षा की जाएगी।

24. किन्तु न्यायालय निम्नलिखित को विचार में न लेगा—

प्रथम, आत्ययिकता की वह मात्रा जिसके कारण अर्जन किया गया है;

द्वितीय, अर्जित भूमि विलग करने के बारे में हितबद्ध व्यक्ति की कोई अनिच्छा;

तृतीय, उस द्वारा उठाया गया ऐसा कोई नुकसान, जो यदि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कारित होता तो उसके लिए ऐसे व्यक्ति पर वाद न चल सकता;

चतुर्थ, वह कोई नुक्सान, जो अर्जित भूमि को उस उपयोग के द्वारा या परिणामस्वरूप धारा 6 के अधीन की घोषणा के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् होना सम्भाव्य है, जिसमें वह लाई जाएगी;

पंचम्, अर्जित भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप होनी सम्भाव्य है, जिसमें वह भूमि अर्जित हो जाने पर लाई जाएगी;

षष्ठम्, हितबद्ध व्यक्ति की किसी दूसरी भूमि के मूल्य में वह कोई वृद्धि, जो उस उपयोग के परिणामस्वरूप प्रोद्भूत होनी सम्भाव्य है, जिसमें अर्जित भूमि लाई जाएगी;

सप्तम्, अर्जित भूमि पर वह कोई लागत या अभिवृद्धि या उसका कोई व्ययन जो कलक्टर की मंजूरी के बिना उस तारीख के पश्चात्, जो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना के प्रकाशन की है, प्रारम्भ किया गया, किया गया या क्रियान्वित किया गया है; या

अष्टम्, भूमि के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि जो उसके किसी ऐसे उपयोग के कारण होती है जो विधि द्वारा निषिद्ध है या लोक नीति के प्रतिकूल है।

न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का कलक्टर द्वारा अधिनिर्णीत रकम से कम न होना।

25. न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम कलक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से कम नहीं होगी।

* * *

खर्चे।

27. (1) ऐसे हर अधिनिर्णय में इस भाग के अधीन वाली कार्यवाहियों में उपगत खर्चों की रकम और यह बात भी कि वे किन व्यक्तियों द्वारा और किस अनुपात में दिए जाने हैं कथित होगी।

(2) जबकि कलक्टर का अधिनिर्णय ठीक नहीं ठहराया जाता तब जब तक कि न्यायालय की यह राय न हो कि आवेदक का दावा इतना अतिमय था या कलक्टर के सामने अपना मामला रखने में उसने इतनी उपेक्षा से काम किया कि उसके खर्चे में से कुछ कटौती की जानी चाहिए या उसे कलक्टर के खर्चे का कोई भाग देना चाहिए कलक्टर द्वारा मामूली तौर से खर्चे दिए जाएंगे।

अतिरिक्त प्रतिकर पर ब्याज देने का निदेश कलक्टर को दिया जा सकेगा।

28. यदि वह राशि, जिसकी बाबत न्यायालय की राय है कि कलक्टर द्वारा वह प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की जानी चाहिए थी, उस राशि से, जो कलक्टर ने प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत की है, अधिक है तो न्यायालय के अधिनिर्णय में यह निदेश हो सकेगा कि कलक्टर ऐसे आधिक्य पर उस तारीख से, जिसको उसने भूमि का कब्जा लिया, ऐसा आधिक्य न्यायालय में जमा किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे।

परन्तु न्यायालय के अधिनिर्णय में यह भी निदेश हो सकेगा कि जहां ऐसे अधिक्य या उसके किसी भाग को ऐसी तारीख से जिसको कब्जा लिया जाता है, एक वर्ष की कालावधि के अवसान की तारीख के पश्चात् न्यायालय में जमा किया जाता है वहां ऐसे आधिक्य की रकम या उसके भाग पर, जो ऐसे अवसान की तारीख के पूर्व न्यायालय में जमा नहीं किया गया है, एक वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

न्यायालय के अधिनिर्णय के आधार पर प्रतिकर की रकम का पुन: अवधारण।

28क. (1) जहां इस भाग के अधीन किसी अधिनिर्णय में आवेदन को न्यायालय, कलक्टर द्वारा धारा 11 के अधीन अधिनिर्णीत रकम से अधिक प्रतिकर की कोई रकम अनुज्ञात करता है वहां धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसी अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली अन्य सभी भूमि में हितबद्ध ऐसे व्यक्ति, जो कलक्टर के अधिनिर्णय से भी व्यथित हैं, इस बात के होते हुए भी कि उन्होंने धारा 18 के अधीन कलक्टर से आवेदन नहीं किया है, न्यायालय के अधिनिर्णय की तारीख से तीन मास के भीतर कलक्टर से लिखित आवेदन करके वह अपेक्षा कर सकेंगे कि उनको संदेय प्रतिकर की रकम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम के आधार पर पुन: अवधारित की जाए:

परन्तु तीन मास की ऐसी कालावधि की संगणना करने में, जिसके भीतर इस उपधारा के अधीन कलक्टर से आवेदन किया जाएगा, उस दिन को, जिस दिन अधिनिर्णय सुनाया गया था और उस समय को, जो अधिनिर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, सभी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना देने और उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जांच करेगा और आवेदकों को संदय प्रतिकर की रकम अवधारित करते हुए अधिनिर्णय करेगा।

(3) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने उपधारा (2) के अधीन अधिनिर्णय स्वीकार नहीं किया है, कलक्टर से लिखित आवेदन करके यह अपेक्षा कर सकेगा कि उस मामले को न्यायालय के अवधारण के लिए कलक्टर द्वारा निर्देशित किया जाए और धारा 18 से धारा 28 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे निर्देश को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 18 के अधीन किसी निर्देश को लागू होते हैं।

भाग 4

प्रतिकर का प्रभाजन

*　　　　　*　　　　　*

प्रभाजन सम्बन्धी विवाद।

30. जबकि प्रतिकर की रकम धारा 11 के अधीन स्थिर की जा चुकी है तब यदि उसके या किसी भाग के प्रभाजन के संबंध में या उन व्यक्तियों के संबंध में, जिनको वह या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद होता है तो कलक्टर ऐसे विवाद को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा।

भाग 5

संदाय

प्रतिकर का संदाय या उसका न्यायालय में निक्षेप।

31. (1) *　　　　　*　　　　　*

(2) यदि वे उसे लेने के लिए सम्मत नहीं हैं या यदि भूमि का अन्य-संक्रामण करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या प्रतिकर लेने के हक के संबंध में या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई विवाद है तो कलक्टर प्रतिकर की रकम उस न्यायालय में बढ़त कर देगा जिसको धारा 18 के अधीन वाला निर्देश निवेदित किया जाएगा:

परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसकी बाबत यह स्वीकार कर लिया गया है कि वह हितबद्ध है, रकम की पर्याप्तता संबंधी आपत्ति के अधीन ऐसा संदाय ले सकेगा:

परन्तु यह और भी कि जो कोई व्यक्ति वह रकम अभ्यापत्ति के अधीन लेने से अन्यथा ले चुका है वह धारा 18 के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि एतदन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसने इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत कोई प्रतिकर या उसका कोई भाग प्राप्त कर लिया हो, उस दायित्व पर प्रभाव न डालेगी जो उसे उसके लिए विधिपूर्वक हकदार व्यक्ति को देने का है।

*　　　　　*　　　　　*

अन्य-संक्रामण करने के लिए अक्षम व्यक्तियों की भूमियों लेखे निक्षिप्त धन का विनिधान।

32. (1) यदि धन अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त किया जाए और यह प्रतीत हो कि जिस भूमि लेखे को अधिनिर्णीत किया गया था वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जो उसका अन्य-संक्रामण करने की शक्ति नहीं रखता था तो न्यायालय—

(क) वैसे ही हक के अधीन और स्वामित्व की वैसी ही शर्तों पर, जैसे के अधीन और जिन पर वह भूमि धृत थी जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया है, धृत की जाने वाली अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि ऐसा क्रय तत्क्षण न किया जा सकता हो ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में जैसी न्यायालय ठीक समझे,

इस धन के विनिहित किए जाने का आदेश देगा और यह निदेश दे कि ऐसे विनिधान से उद्भूत होने वाले ब्याज या अन्य आगमों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो उक्त भूमि पर कब्जा करने के हकदार तत्समय हों, किया जाए और ऐसे धन इस प्रकार तक निक्षिप्त और विनिहित रहेंगे जब तक वे—

(i) पूर्वोत्तर जैसी अन्य भूमियों के क्रय में, अथवा

(ii) उसके आत्यन्तिकत: हकदार हो जाने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय करने में, उपयोजित न कर दिए जाएं।

(2) निक्षिप्त धनों के उन सब मामलों में, जिन्हें यह धारा लागू है, न्यायालय निम्नलिखित बातों के खर्चे, अर्थात:—

(क) पूर्वोक्त जैसे विनिधानों के खर्चे,

(ख) जिन प्रतिभूतियों में ऐसे धन तत्समय विनिहित हैं उनके ब्याज या अन्य आगमों के संदाय के और ऐसे धनों के मूल का संदाय न्यायालय के बाहर करने के आदेशों के और जो कार्यवाहियां प्रतिकुल दावेदारों के बीच मुकदमेबाजी के कारण हुई हों उनको छोड़कर उनसे संबद्ध सारी कार्यवाहियों के खर्चे,

अनुषंगिक सब युक्तियुक्त प्रभारों और व्ययों के सहित कलक्टर द्वारा दिए जाने का आदेश देगा।

33. जबकि अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित से भिन्न किसी हेतुक के लिए कोई धन इस अधिनियम के अधीन न्यायालय में निक्षिप्त कर दिया गया है तब न्यायालय ऐसे धन में हितबद्ध या उसमें किसी हित का दावा करने वाले किसी पक्षकार के आवेदन पर उसे ऐसी सरकारी या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में, जैसी वह ठीक समझे, विनिहित करने का आदेश दे सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी विनिधान के ब्याज या अन्य आगम संचित किए जाएं और ऐसी रीति से दिए जाएं जैसी की बाबत वह न्यायालय यह समझता हो कि उसमें हितबद्ध पक्षकारों को उससे वही या यथाशक्य लगभग उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना कि उनका उस भूमि से हुआ होता जिस लेखे ऐसा धन निक्षिप्त किया गया था। अन्य मामलों में निक्षिप्त धन का विनिधान।

34. * * *

भाग 6
भूमि का अस्थायी अधिभोग

35. (1) * * * बंजर या कृष्य भूमि का अस्थायी अधिभोग। जबकि प्रतिकर के सम्बन्ध में मतभेद है तब प्रक्रिया।

(3) प्रतिकर की पर्याप्तता या उसके प्रभाजन के संबंध में कोई मतभेद कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में होने की दशा में से मतभेद को कलक्टर न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा।

36. * * *

37. उस दशा में, जिसमें कलक्टर और हितबद्ध व्यक्तियों में उस भूमि की उस दशा के संबंध में, जो उस अवधि के अवसान पर उसकी है या उक्त करार से संबद्ध किसी बात के संबंध में मतभेद है, कलक्टर से मतभेद को न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। भूमि की दशा के सम्बन्ध में मतभेद।

भाग 7
कम्पनियों के लिए भूमि का अर्जन

38क. व्यष्टि या व्यष्टियों के संगम के स्वामित्वाधीन का जो औद्योगिक समुत्थान सौ से अन्यून कर्मकारों को मामूली तौर से नियोजित रखता है और कम्पनी नहीं है वैसे उस औद्योगिक समुत्थान की बाबत, जो समुत्थान द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए आवास गृह बनाने के लिए या प्रत्यक्षत: तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अर्जित करना चाहता है, वहां तक, जहां तक कि ऐसी भूमि के अर्जन का संबंध है, इस भाग के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह कम्पनी है, और धारा 4, 5क, 6, 7 और 50 में के निर्देशों का, जो कम्पनी के प्रति हैं, निर्वचन ऐसे किया जाएगा मानो वे ऐसे औद्योगिक समुत्थान के प्रति भी निर्देश हों। औद्योगिक समुत्थान की बाबत कुछ प्रयोजनों के लिए यह समझा जाना कि वह कम्पनी है।

39. धारा 6 से लेकर धारा 16 तक की धाराओं के (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) और धारा 18 से लेकर धारा 37 तक की धाराओं के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) उपबंध इस भाग के अधीन किसी कंपनी के लिए भूमि अर्जित करने के लिए तब के सिवाय प्रवृत्त नहीं किए जाएंगे जबकि समुचित सरकार की पूर्व सम्मति मिल गई हो और कम्पनी एतत्पश्चात् वर्णित करार निष्पादित कर दिया हो। समुचित सरकार की पूर्व सम्मति की और करार के निष्पादन की आवश्यकता।

40. (1) ऐसी सम्मति तब के सिवाय नहीं दी जाएगी जबकि या तो कलक्टर की धारा 5क की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट पर या की गई ऐसी जांच द्वारा जैसी एतत्पश्चात् उपबन्धित है, समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है,— पूर्ववर्ती जांच।

(क) कि अर्जन का प्रयोजन कम्पनी द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए आवास-गृह बनाने के लिए या प्रत्यक्षत: तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के लिए भूमि अभिप्राप्त करना है, अथवा

(कक) कि ऐसा अर्जन ऐसी किसी कम्पनी के किसी निर्माण या संकर्म को बनाने के लिए आवश्यक है जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है, अथवा

(ख) कि ऐसा अर्जन कोई संकर्म बनाने के लिए आवश्यक है और वह संकर्म लोक के लिए उपयोगी साबित होना संभाव्य है।

(2) ऐसी जांच ऐसे आफिसर द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर की जाएगी जिसे समुचित सरकार नियुक्त करे।

(3) ऐसा आफिसर उन्हीं साधनों से और यावतसम्भव उसी रीति से, जैसे किसी सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा उपबन्धित है, साक्षियों को समन कर सकेगा और उनकी हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा और विवश करके दस्तावेजों की पेशी करा सकेगा। 1908 का 5

समुचित सरकार के साथ करार।

41. यदि समुचित सरकार का समाधान कलक्टर की धारा 5क, उपधारा (2) के अधीन की किसी रिपोर्ट पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् या धारा 40 के अधीन जांच करने वाले आफिसर की रिपोर्ट पर हो जाता है कि प्रस्थापित अर्जन उन प्रयोजनों में से किसी के लिए है जो धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (कक) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है तो वह कम्पनी से यह अपेक्षा करेगी की वह कम्पनी समुचित सरकार से निम्नलिखित के लिए ऐसा उपबन्ध करने वाला, जैसे से समुचित सरकार का समाधान हो जाता है, एक करार करे, अर्थात्:—

(1) समुचित सरकार को अर्जन के खर्च का संदाय,

(2) ऐसे संदाय पर भूमि का अन्तरण कम्पनी को किया जाना,

(3) वे निबंधन जिन पर भूमि कम्पनी द्वारा धृत रखी जाएगी,

(4) जहां कि अर्जन आवास-गृह बनाने के लिए या तत्संसक्त सुख-सुविधाएं उपबन्धित करने के प्रयोजन के लिए है वहां वह समय जिसके भीतर, वे शर्तें जिन पर और वह रीति जिसमें आवास-गृह बनाए जाएंगे या सुख-सुविधाएं उपबन्धित की जाएंगी,

(4क) जहां कि अर्जन ऐसी किसी कम्पनी के किसी निर्माण या संकर्म को बनाने के लिए है, जो ऐसे किसी उद्योग या संकर्म में लगी हुई है या स्वयं लगने के लिए कदम उठा रही है, जो किसी लोक प्रयोजन के लिए है, वहां वह समय, जिसके भीतर और वे शर्तें जिन पर वह निर्माण या संकर्म बनाया या निर्मित किया जाएगा, तथा

(5) जहां कि वह अर्जन कोई अन्य संकर्म बनाने के लिए है वहां वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिन पर वह संकर्म बनाया जाएगा या बनाए रखा जाएगा और वे निबन्धन जिन पर लोक उस संकर्म का उपयोग करने का हकदार होगा।

करार का प्रकाशन।

42. ऐसा हर करार अपने हस्ताक्षरण के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा होने पर उसका (वहां तक जहां तक कि उन निबन्धनों का संबंध है जिन पर लोक उस संकर्म का उपयोग करने का हकदार होगा) ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस अधिनियम का भाग था।

धारा 39 से लेकर धारा 42 तक की धाराएं वहां लागू नहीं होंगी जहां कि सरकार करार से आबद्ध है।

43. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया इन काउन्सिल, सेक्रेटरी आफ स्टेट केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, जिस रेल या अन्य कम्पनी के प्रयोजनों के लिए भूमि ऐसी कम्पनी के साथ किसी करार के अधीन देने के लिए आबद्ध थी या है वैसी किसी रेल या अन्य कम्पनी के लिए भूमि के अर्जन को धारा 39 से लेकर धारा 42 तक की (जिनके अन्तर्गत ये दोनों धाराएं भी आती हैं) धाराओं के उपबंध लागू न होंगे और यह समझा जाएगा कि उसे लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1870 के तत्स्थानी उपबन्ध भी कभी लागू नहीं थे। 1870 का 10

44. किसी रेल कम्पनी के प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन की दशा में किसी ऐसे करार का अस्तित्व, जैसा कि धारा 43 में वर्णित है, उसकी ऐसी मुद्रित प्रति को पेश करके साबित किया जा सकेगा जिसका सरकार के आदेश से मुद्रित होना तात्पर्यित है। रेल कम्पनी के साथ का करार कैसे साबित किया जा सकेगा।

44क. कोई भी कम्पनी, जिसके लिए इस भाग के अधीन भूमि अर्जित की जाती है उक्त भूमि या उसके किसी भाग का विक्रय, बंधक, दान, पट्टा या अन्यथा अन्तरण समुचित सरकार की पूर्व मंजूरी से करने के सिवाय करने की हकदार न होगी। अन्तरण आदि पर निर्बन्धन।

44ख. इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस भाग के अधीन किसी भी भूमि का अर्जन ऐसी प्राइवेट कम्पनी के लिए, जो सरकारी कम्पनी नहीं है, धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में वर्णित प्रयोजन के लिए किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा। सरकारी कम्पनियों से भिन्न प्राइवेट कम्पनियों के लिए इस भाग के अधीन भूमि का अर्जन प्रयोजन विशेष के लिए किए जाने के सिवाय न किया जाना।

स्पष्टीकरण—"प्राइवेट कम्पनी" और "सरकारी कम्पनी" के वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें कम्पनी
1956 का 1 अधिनियम, 1956 में क्रमश: समनुदेशित किए गए हैं।

* * * *

भाग 8
प्रकीर्ण

* * * * *

49. (1) इस अधिनियम के उपबन्ध किसी गृह, विनिर्माणशाला या अन्य निर्माण के केवल एक भाग के अर्जन के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे यदि स्वामी यह वांछा करे कि ऐसा पूरा गृह, पूरी विनिर्माणशाला या पूरा निर्माण इस प्रकार अर्जित किया जाए: गृह या निर्माण के एक भाग का अर्जन

* * * * *

परन्तु यह और भी कि यदि इसके संबंध में कोई प्रश्न पैदा हो कि क्या कोई ऐसी भूमि, जिसका इस अधिनियम के अधीन लिया जाना प्रस्थापित है, इस धारा के अर्थों में किसी गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण का भाग है या नहीं तो कलक्टर ऐसे प्रश्न का अवधारण न्यायालय को निर्देशित करेगा और ऐसी भूमि का तब तक कब्जा नहीं लेगा, जब तक वह प्रश्न अवधारित न हो गया हो।

न्यायालय ऐसे निर्देश पर विनिश्चय करने में इस प्रश्न का ध्यान रखेगा कि क्या वह भूमि, जिसे लेने की प्रस्थापना है, उस गृह, विनिर्माणशाला या निर्माण के पूर्ण और अविकल उपयोग के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है।

* * * * *

50. (1) जहां कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित या प्रबन्धित किसी निधि के या किसी कम्पनी के खर्चे पर भूमि अर्जित करने के प्रयोजन के लिए प्रवर्तित किए जाए वहां ऐसे अर्जन के या तदानुषंगिक प्रभार ऐसी निधि में से या कम्पनी द्वारा संदत्त किए जाएंगे। किसी स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी के खर्चे पर भूमि का अर्जन

(2) ऐसे मामलों में जो कोई कार्यवाही कलक्टर या न्यायालय के समक्ष होती है उसमें सम्पृक्त स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी उपसंजात हो सकेगी और प्रतिकर की रकम के अवधारित करने के प्रयोजन से साक्ष्य पेश कर सकेगी:

परन्तु कोई ऐसा स्थानीय प्राधिकारी या कम्पनी धारा 18 के अधीन निर्देश कराने की मांग करने की हकदार न होगी।

* * * * *

53. वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वे इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात से असंगत हों, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबन्ध उन सब कार्यवाहियों को लागू होंगे जो न्यायालय के समक्ष इस अधिनियम के अधीन होती हैं। न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाही को कोड आफ सिविल प्रोसीजर का लागू होना

न्यायालय में हुई कार्यवाहियों में अपीलें

54. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उन उपबन्धों के, जो मूल डिक्रियों की अपीलों को लागू हैं, अध्यधीन रहते हुए और किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही में न्यायालय के अधिनिर्णय या अधिनिर्णय के किसी भाग की कोई अपील केवल उच्च न्यायालय में होगी और ऐसी अपील में, जैसी पूर्वोक्त है, पारित उच्च न्यायालय की किसी डिक्री की अपील सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 110 में और उसके आदेश 45 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय में होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

55. (1) समुचित सरकार को इस अधिनियम का प्रवर्तन कराने से संसक्त सब बातों में आफिसरों का मार्गदर्शन करने के लिए ऐसे नियम, जो इस अधिनियम से संगत हों, बनाने की शक्ति प्राप्त होगी और समय-समय पर वह उन नियमों में, जो इस प्रकार बनाए गए हों, परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगी:

परन्तु इस अधिनियम के भाग 7 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य होगी और ऐसे नियम राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के आफिसरों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जा सकेंगे:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

* * * *

MGIPMRND—5105LS(S-5)—01.12.2007.